बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/परिवाद (भोजपुर) 12–290/2024–......................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–........................

परिवादी श्री कपिल प्रसाद से प्राप्त परिवाद पत्र में **श्रीमती पल्लवी कुमारी गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आरा सदर, आरा** के विरूद्ध समाहर्त्ता, भोजपुर के न्यायालय द्वारा अपर समाहर्त्ता, भोजपुर के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–30/2023–24 के विरूद्ध दायर अपील वाद सं0–10/2024–25 को खारिज किये जाने के पश्चात् पुनः दूसरे व्यक्ति के द्वारा उक्त रद्दीकरण वाद के विरूद्ध एक नया अपील दायर कर अपील वाद सं0–11/2024–25 में स्टे ले लिये जाने के संदर्भ मे आवश्यक अगेतर कार्रवाई करते हुए समाहर्त्ता, भोजपुर से कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही दाखिल–खारिज वाद सं0–440/2024–25 में आपत्ति की सुनवाई के बिना समाहर्त्ता, भोजपुर के समक्ष दायर अपील सं0–11/2024–25 के आधार पर कैसे जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया गया जबकि अपील सं0–11/2024–25 में समाहर्त्ता, भोजपुर का कोई आदेश पारित नहीं होने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–956(15), दिनांक–12.06.2025 द्वारा श्रीमती गुप्ता से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती गुप्ता द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–2983 दिनांक–06.10.2025 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि अंचल अधिकारी, भोजपुर द्वारा समाहर्त्ता, भोजपुर के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0–11/2024–25 लंबित रहने एवं दिनांक–08.07.2024 को पारित आदेश में अपर समाहर्त्ता, भोजपुर के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद 30/2023–24 में दिनांक–03.04.2024 को पारित आदेश पर स्थगन आदेश के बावजूद दाखिल–खारिज वाद सं0– 440/2024–2025 स्वीकृत किया गया है एवं अपने बचाव में हल्का कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार भूमि पर क्रेता का स्पष्ट दखल–कब्जा होने तथा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–30/2023–24 में अपर समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा पारित आदेश पर लगाये गए स्थगन को जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0–11/2024–25 में समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा समाप्त कर दिए जाने के आधार पर स्वीकृत किए जाने का तर्क दिया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि समाहर्त्ता, भोजपुर के न्यायालय द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद 10–11/2024–25 में दिनांक–08.07.2024 को पारित आदेश में अपर समाहर्त्ता, भोजपुर के न्यायालय में नमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–30/2023–24 में दिनांक–03.04.2024 को पारित आदेश पर रोक लगा दी यी थी एवं उक्त जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद में कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया था।

अंचलाधिकारी, भोजपुर द्वारा दाखिल–खारिज वाद–440/2024–25 में पारित आदेश में जमाबंदी रद्दीकरण अपीलवाद का उल्लेख किया गया है जबकि उसी तिथि को जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–10/2024 में भी आदेश सं0–11/2024 में दिनांक–08.07.2024 को आदेश पारित है जिसका उल्लेख नहीं कर वाद को स्वीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, भोजपुर द्वारा उक्त दोनों जमाबंदी रद्दीकरण अपील वादों का संज्ञान रहने के बावजूद बिना किसी आदेश का स्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा उच्च राजस्व न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की स्थिति में दाखिल–खारिज स्वीकृत किया जाना नियमानुकूल नहीं है। साथ ही दाखिल–खारिज स्वीकृति आदेश में समाहर्त्ता, भोजपुर के न्यायालय में दायर जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0–11/2024 में पारित आदेश के आलोक में स्वीकृत किए जाने का उल्लेख किया गया है जबकि उक्त जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, भोजपुर द्वारा दाखिल–खारिज अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने निजी स्वार्थवश अथवा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त कृत्य किया गया है।

4. श्रीमती पल्लवी कुमारी गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आरा सदर, आरा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती गुप्ता को "निन्दन" एवं "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती पल्लवी कुमारी गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आरा सदर, आरा सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) नियम–14(i) के तहत **"निन्दन"** (आरोप वर्ष–2024–25) **एवं** नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक"** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के उप सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/परिवाद (भोजपुर) 12–290/2024–..............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, आरा एवं पूर्वी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण एवं भोजपुर(आरा)/श्रीमती पल्लवी कुमारी गुप्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/**परिवाद (भोजपुर) 12–290/2024–**411.................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–23/03/2026

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल में)**/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्रीमती पल्लवी कुमारी गुप्ता** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

20/3/26

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Pallavi kumari gupta (CO_Ara sadar)_Nindan_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc